अनुदान संख्या 49 – परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 49–DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	6696,37,00		6976,39,00	5816,96,46	–1159,42,54
पूरक	Supplementary	280,02,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					724,39,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (115942.54 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 28002.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.115942.54 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.28002.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare				
मू.	O.	269032.00			
पू.	S.	9002.00	232804.48	226722.97	–6081.51
पु.	R.	–45229.52			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	55000.00	32898.90	. .	–32898.90
पु.	R.	–22101.10			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	327230.00			
पू.	S.	19000.00	345774.62	341523.09	–4251.53
पु.	R.	–455.38			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	5015.00			
			3716.00	3451.64	–264.36
पु.	R.	-1299.00			
मुख्य शीर्ष "3606'' सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments				
मू.	O.	13000.00			
			9615.00	9612.53	–2.47
पु.	R.	–3385.00			

(I) 56550.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2211''-

(क) "अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं''- 950.00 लाख रु. दिशा निर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "अन्य व्यय - संभार तंत्र का सुधार''- 200.00 लाख रु. राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.56550.00 lakhs remained wholly unutilised under the following major heads:-

(A) Major Head "2211" –

(a) "Other Services and Supplies – Social Marketing Area Projects" – Rs.950.00 lakhs – due to non-finalisation of guidelines.

(b) "Other Expenditure – Logistics Improvement" – Rs.200.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from the States.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र ओर सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान''- 55000.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा उपयोग किए जाने और साथ ही संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - चयनित क्षेत्र परियोजनाएं (भारत जनसंख्या परियोजनाएं - बाह्य सहायताप्राप्त संघटक सहित)''- 400.00 लाख रु. राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2211'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - निरोध का सामाजिक विपणन''- 16000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 21000.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 866.57 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आपूर्तिकर्ता और एसएमओएस, परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि के बीच मतभेद होने की वजह से 'मिलन और ब्लिस' कांडम की आपूर्ति न किए जाने और नीतिगत निर्णय की वजह से डीलक्स निरोध के प्रचार में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय''- 25890.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 29890.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 7421.59 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने, पूर्व में जारी की गई धनराशियों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने, अधिप्राप्ति के लिए समय के अपर्याप्त होने की वजह से पूरे अधिप्राप्ति आदेश प्रस्तुत न किए जाने और हल्द्वानी (उत्तरांचल) स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिए निर्माण कार्यकलापों को करने के लिए संस्थान को निधियां जारी किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने, जिला प्राधिकरणों से उपयोग प्रमाण पत्रों, वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे तथा और

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure– Provision for Projects/Schemes of North Eastern Areas and Sikkim" – Rs.55000.00 lakhs – due to utilisation by re-appropriation of part funds to the functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim and also reduction of provision at revised estimates stage.

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare-Selected Area Projects (including India Population Projects) – Externally Aided Component" – Rs.400.00 lakhs – due to availability of unspent balances lying with the State Governments.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2211" - remained unutilised wholly/to the extent as shown against each under the following heads:-

(A) "Other Services and Supplies – Social Marketing of Nirodh" – the original provision of Rs.16000.00 lakhs was augmented to Rs.21000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5000.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.866.57 lakhs (including supplementary grant) due to non-supply of 'Milan and Bliss' condoms owing to difference between supplier and SMOS, testing laboratories etc. and delay in publicity of Delux Nirodh owing to policy decision.

(B) "Other Expenditure – Measures under National Population Policy" – the original provision of Rs.25890.00 lakhs was augmented to Rs.29890.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4000.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.7421.59 lakhs (including supplementary grant) due to non-finalisation of the scheme, non-receipt of utilisation certificates of earlier releases, non - placement of full procurement orders owing to inadequate time of procurement restrictions by the Ministry of Finance to release the funds to State Institute of Health and Family Welfare at Haldwani (Uttranchal) for carrying construction activities by the Institute for the State of Uttranchal, non-receipt of requisite documents such as utilisation certificates, Annual

अनुदान जारी किए जाने के लिए उपयुक्त अनुरोध जैसे अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) "प्रशिक्षण"-

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली"- 212.13 लाख रु. की बचत (1370.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ख) "परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई"- 133.30 लाख रु. की बचत (239.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, दौरों पर कम व्यय किए जाने, मोटर दुर्घटना दावों का निपटान न किए जाने और भवन के नक्शों को अंतिम रूप न दिए जाने आदि के कारण हुई।

(ग) "पुरुषों की भागीदारी"- 178.70 लाख रु. की बचत (292.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से मांगों के कम प्राप्त होने और अस्वीकृति की वजह से उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने और प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़"- 556.95 लाख रु. की बचत (713.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना"- 39241.60 लाख रु. की बचत (180929.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य निधियों से व्यय किए जाने, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम मांग किए जाने, उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने, राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने आदि के कारण हुई।

(गा) "जन शिक्षा - अन्य प्रचार कार्यकलाप"- 357.03 लाख रु. की बचत (2536.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

Audited Accounts and adequate request for further release of grant from district authorities.

(III) Under Major Head "2211" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Training" -

(a) "National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi" – saving of Rs.212.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1370.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the Institute.

(b) "Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" – saving of Rs.133.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.239.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less expenditure on tours, non-settlement of motor accident claims and non-finalisation of building plans etc.

(c) "Male Participation" – saving of Rs.178.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.292.00 lakhs) was due to less receipts of demands from the States and non-procurement of instruments owing to rejection and non-receipt of proposals.

(d) "Rural Health Training Centre, Najafgarh"– saving of Rs.556.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.713.00 lakhs) was due to delay in clearance of setting up of 30 bedded hospital by Standing Finance Committee/Expenditure Finance Committee.

(B) "Maternity and Child Health - Reproductive and Child Health Project" – saving of Rs.39241.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.180929.00 lakhs) was due to incurring of expenditure from the external funds, less demand from Union Territories without Legislature, non-receipt of utilisation certificates, non-receipt of proposals from the States etc.

(C) "Mass Education – Other Publicity Activities" – saving of Rs.357.03 lakhs (against

की तुलना में) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने और उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - स्वायत्तशासी/स्वैच्छिक संगठनों/समितियों के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाएं''- 927.12 लाख रु. की बचत (4901.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ङ) ''अन्य सेवाएं और आपूर्तियां''-

(क) ''परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति''- 928.26 लाख रु. की बचत (9854.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपूर्तिकताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''खाने की गोलियों का सामाजिक विपणन''- 940.61 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामाजिक विपणन संगठन से कम मांग प्राप्त होने और देर से प्रचार किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''अन्य व्यय - उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना में अभिनवता''- 1376.46 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवार नियोजन सेवा परियोजना अभिकरण, लखनऊ में राज्य अभिनवता द्वारा लक्ष्य तैयार न किए जाने और प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य''-

(क) ''प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना''- 11692.77 लाख रु. की बचत (22287.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पताल सेवा परामर्शी निगम (भारत) लिमिटेड द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य औषधियों की आपूर्ति न किए जाने और अस्पताल सेवा परामर्शी निगम (भारत) लिमिटेड/हिंदुस्तान लेटेक्स

the sanctioned provision of Rs.2536.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State and Union Territory Governments and non-submission of utilisation certificates.

(D) “Selected Area Programmes (including India Population Project) – Projects through Autonomous/Voluntary Organisations/Societies” – saving of Rs.927.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4901.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments.

(E) “Other Services and Supplies” -

(a) “Free Supply of Family Planning Material”– saving of Rs.928.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9854.00 lakhs) was due to non-furnishing of bills by the suppliers.

(b) “Social Marketing of Oral Pills” – saving of Rs.940.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to less demand from Social Marketing Organisation and late publicity.

(F) “Other Expenditure- Innovation in Family Planning Services Project for Uttar Pradesh” – saving of Rs.1376.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to non-formulation and non-achievement of benchmarks by the State Innovations in Family Planning Services Project Agency, Lucknow.

(IV) Under Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Family Welfare – Maternity and Child Health” -

(a) “Re-productive and Child Health Project”– saving of Rs.11692.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22287.00 lakhs) was due to non-supply of Re-productive and Child Health Drugs by Hospital Services Consultancy Corporation (India) Ltd. and adjustment of advances given to

लिमिटेड को दिए गए अग्रिमों का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन का सुदृढ़ीकरण''- 1438.62 लाख रु. की बचत (78200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को वैक्सीनों की कम आपूर्ति किए जाने और राज्यों/चिकित्सा भंडार डिपुओं से पुष्टिकरण की प्राप्ति न होने/देर से होने की वजह से राज्यों को आपूर्ति की गई नेमी वैक्सीनों का समायोजन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति''- 1582.21 लाख रु. की बचत (9049.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निरोध और माला 'एन' की इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के भीतर अल्प मात्रा में आपूर्ति न किए जाने, प्रशुल्क आयोग द्वारा ट्यूबीय रिंगों के लागत अध्ययन को अंतिम रूप देने में लगे समय की वजह से इनकी अधिप्राप्ति संबंधी आपूर्ति आदेशों में विलंब होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य''-

(क) ''प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना''- 178.50 लाख रु. की बचत (370.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पताल सेवा परामर्शी निगम (भारत) लिमिटेड द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य औषधियों की आपूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन का सुदृढ़ीकरण''- 1010.09 लाख रु. की बचत (2295.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों को उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों में परिवर्तित किए जाने की वजह से संघ राज्य क्षेत्रों को वैक्सीनों की कम आपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

Hospital Services Consultancy Corporation (India) Ltd./Hindustan Latex Limited.

(b) "Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" – saving of Rs.1438.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.78200.00 lakhs) was due to less supply of vaccines to States and non-adjustment of routine vaccines supplied to States owing to non/late receipt of confirmation from States/Medical Store Depots.

(B) "Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of Family Planning Material" – saving of Rs.1582.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9049.00 lakhs) was due to non-supply of small quantities of Nirodh and Mala 'N' within the delivery period fixed for the purpose, supply orders for procurement of Tubal Rings were delayed owing to time taken in finalisation of cost study for the item by Tariff Commission.

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Family Welfare – Maternity and Child Health" –

(a) "Reproductive and Child Health Project" – saving of Rs.178.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.370.00 lakhs) was due to non-supply of Reproductive and Child Health Drugs by Hospital Services Consultancy Corporation (India) Ltd.

(b) "Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" – saving of Rs.1010.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2295.00 lakhs) was due to less supply of vaccines to Union Territories owing to conversion of two National Immunisation Days into Sub-National Immunisation Days.

(खा) ''परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निशुल्क आपूर्ति''- 189.27 लाख रु. की बचत (367.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने और संघ राज्य क्षेत्रों से मांगों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो''- 112.00 लाख रु. की बचत (871.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/पांडिचेरी के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने की वजह से कम अनुदान जारी किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3606'' - ''संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातिक निधि से सहायता - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता'' के अंतर्गत 3387.47 लाख रु. की बचत (13000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैक्सीनों आदि की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(VII) सात शीर्षों के अंतर्गत 507.54 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4592.84 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत मार्च, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2211''-

(क) ''जन शिक्षा''-

(i) ''मुख्यालय में कार्यकलाप''- 698.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 639.62 लाख रु. था।

(ii) ''सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रचार माध्यम इकाइयों के माध्यम से व्यय''- 846.89 लाख रु.। तथापि,

(B) "Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of Family Planning Material" – saving of Rs.189.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.367.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and less receipt of demands from Union Territory Governments.

(C) "Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/Distt. Family Welfare Bureau" – saving of Rs.112.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.871.00 lakhs) was due to release of less grants owing to availability of unspent balances of previous years with the National Capital Territory of Delhi/Pondicherry.

(VI) Under Major Head "3606" – "Assistance from United Nations International Children's Emergency Fund – Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" - saving of Rs.3387.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13000.00 lakhs) was due to less procurement of vaccines etc.

(VII) Under seven heads savings of Rs.507.54 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.4592.84 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2005 under the following major head:-

(A) Major Head "2211" -

(a) "Mass Education" –

(i) "Activities at Headquarters" – Rs.698.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.639.62 lakhs.

(ii) "Expenditure through Media Units of Ministry of Information and

वास्तविक अधिक व्यय 568.75 लाख रु. था।

(iii) "सूचन, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजन"- 3047.95 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2466.49 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजन स्कीमों के लिए अनुद्यान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-शहरी परिवार कल्याण केंद्र"- 167.65 लाख रु. का अधिक व्यय (5882.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) "परिवार कल्याण - परिवहन - पेट्रोल, तेल और स्नेहकों/वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रावधान"- 527.38 लाख रु. का अधिक व्यय (4945.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) "परिवार कल्याण - प्रतिपूर्ति - नसबंदी के लिए प्रतिपूर्ति"- 878.00 लाख रु. का अधिक व्यय (19515.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) "परिवार कल्याण ' प्रशिक्षण-एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण" - 467.50 लाख रु. का अधिक व्यय (6562.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ङ) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव"- 1209.50 लाख रु. का अधिक व्यय (19406.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलन में) हुआ; और

(चा) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-उप केंद्र"- 6992.67 लाख रु. का अधिक व्यय (19000.00 लाख रु. के पूरक अनुद्यान सहित 171746.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबधित परियोजनओं/स्कीमों

Broadcasting" – Rs.846.89 lakhs. Actual excess, however, was Rs.568.75 lakhs.

(iii) "Information, Education and Communication - RCH Project" – Rs.3047.95 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2466.49 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – under the following heads:-

(A) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services – Urban Family Welfare Centres" – excess of Rs.167.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5882.00 lakhs);

(B) "Family Welfare – Transport – Provision for P.O.L./Procurement of Vehicles" – excess of Rs.527.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4945.00 lakhs);

(C) "Family Welfare – Compensation – Compensation for Sterilisation" – excess of Rs.878.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19515.00 lakhs);

(D) "Family Welfare – Training – Training of ANM/LHV" – excess of Rs.467.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6562.00 lakhs);

(E) "Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/Distt. Family Welfare Bureau" – excess of Rs.1209.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19406.00 lakhs); and

(F) "Family Welfare – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" – excess of Rs.6992.67 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.171746.00 lakhs including supplementary grant of Rs.19000.00 lakhs).

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head

पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.53 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत था।

"2552" to the functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.80.53 lakhs occurred constituting 37 percent of the sanctioned provision.